NANDINI
SAHAKAR

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

नंदिनी सहकार

सारांश

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा नंदिनी सहकार, एक महिला केन्द्रित वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, हैंड होल्डिंग एवं क्षमता विकास निर्माण की रूपरेखा है जो कि शहरी आवासीकरण को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियां करने में महिला सहकारिताओं की सहायता करने के उद्देश्य पर केंद्रित है। महिला सहकारी समितियों हेतु परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पर कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। महिला सहकारी समितियां वे हैं जो किसी भी राज्य/ केंद्रीय अधिनियम के तहत महिला सहकारिता के रूप में पंजीकृत हैं या वे सहकारी समितियां जिनमें प्राथमिक सदस्यों के रूप में न्यूनतम 50% महिलाएं हैं। तीन महीने से संचालित कोई भी सहकारी समिति सहायता के लिए आवेदन करने की पात्र है, जो अवसंरचना सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट लिंकेज के रूप में, सरकार/ एजेंसियों की अन्य योजनाओं से सब्सिडी या ब्याज सहायता के साथ संघटित होगा। नंदिनी सहकार का उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय चलाने में मदद करना और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को पूर्ण करना है।

एनसीडीसी ने सहकारिताओं में विशुद्ध रूप से महिलाओं पर केंद्रित नंदिनी सहकार योजना प्रस्तुत की है, जिसमें वित्तीय सहायता (एनसीडीसी द्वारा क्रेडिट लिंकेज, अन्य भारत सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/ एजेंसी की अन्य योजनाओं से सब्सिडी और प्रोत्साहन के साथ अभिमुख होगी) ऑनलाइन या एनसीडीसी कार्यालयों के अखिल भारतीय नेटवर्क द्वारा वितरित की जाएगी।

> **" न्यू इंडिया वह है जहाँ महिलाएं सशक्त हैं, सबल हैं तथा देश के विकास में बराबर की भागीदार हैं । "**
>
> *- श्री नरेंद्र मोदी,*
> *माननीय प्रधानमंत्री*

एनसीडीसी के विषय में

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा केवल प्राथमिक, जिला, शीर्ष/ बहुराज्य तथा राष्ट्र स्तरीय सहकारिताओं के लिए स्थापित एक शीर्ष स्तर का सांविधिक स्वायत्त संस्थान है। इसका निर्माण कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन, कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं जैसे पर्यटन, ग्रामीण आवासीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, बैंकिंग, अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, निर्यात और आयात के लिए सहकारी सिद्धांतों पर कार्यक्रमों की योजना बनाने और संवर्धन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। यह सरकार से किसी भी बजटीय समर्थन के बिना मुक्त बाजार के सिद्धांतों पर संचालित होता है।

अपने सहकार-22 की रूपरेखा के माध्यम से, एनसीडीसी **किसानों की आय दोगुनी करने में** महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 1963 में 2.36 करोड़ रुपए के संवितरण के साथ आरंभ करते हुए, एनसीडीसी ने 2020-21 में 24733.24 करोड़ रुपए का संवितरण किया। एनसीडीसी ने अब तक सहकारी समितियों को 1963 से **शून्य निवल एनपीए** सहित **98% से अधिक की वसूली** के साथ **1.87 लाख करोड़ रुपए** का संवितरण किया है तथा लाभ अर्जन किया है।
एनसीडीसी ने वर्ष 1963-2014 की अवधि की तुलना में वर्ष 2015-21 के दौरान संवितरण राशि में **286%** वृद्धि प्राप्त की है।

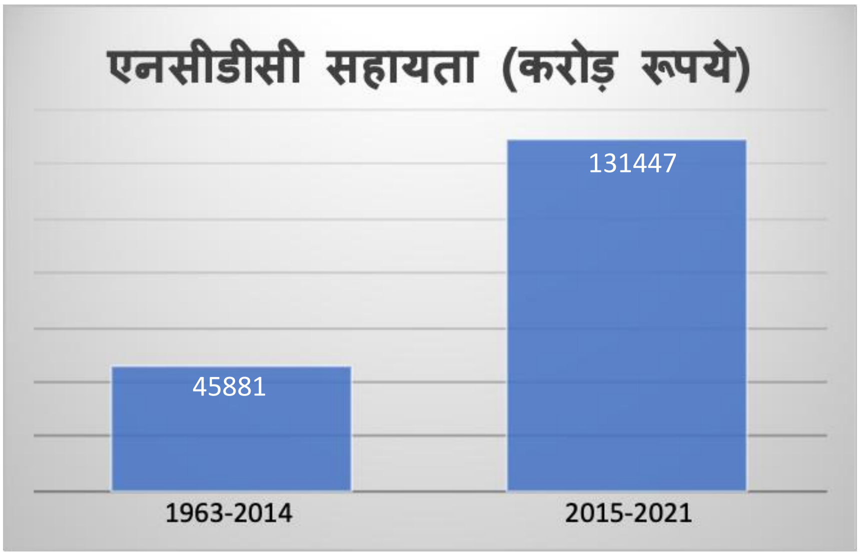

एनसीडीसी एक वित्तीय पावरहाउस है जो ग्राहक सहकारी समितियों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह एक आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित संस्थान है। यह अपने 18 क्षेत्रीय कार्यालयों या नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय के माध्यम से मूल्यांकन और अनुमोदन की एक सरल, पारदर्शी और मजबूत प्रणाली का अनुसरण करता है। यह सहकारी समितियों के लिए सबसे पसंदीदा वित्तीय संस्थान है। एनसीडीसी-लिनाक भारत और विदेशों में सहकारी समितियों को परियोजना परामर्श, अनुसंधान और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है।

उद्देश्य

एनसीडीसी ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिखाए गए आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों पर स्वयं को संरेखित करते हुए, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए नंदिनी सहकार सहायता की रूपरेखा प्रस्तुत की है। यह महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमी गतिशीलता का समर्थन करता है। यह महिलाओं के उद्यम, व्यापार योजना निर्माण, क्षमता निर्माण, ऋण और सब्सिडी और/ या अन्य योजनाओं के ब्याज सहायता के महत्वपूर्ण योगदानों को अभिमुख करता है। एनसीडीसी, स्वयं के द्वारा, या अनेक मंत्रालयों के प्रमुख कार्यक्रमों की एजेंसी के रूप में क्षेत्र आधारित योजनाओं को लागू कर रहा है। नंदिनी सहकार एक केंद्रित रूपरेखा है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से एनसीडीसी के दायरे में आने वाली गतिविधियों में सम्मिलित महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

महिलाओं हेतु एनसीडीसी

वर्ष 1963 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक, एनसीडीसी ने महिला सहकारी समितियों को 3655.30 करोड़ रूपये स्वीकृत तथा 2958.29 करोड़ रूपये विमुक्त किये, जिनमें से वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान 3465.63 करोड़ रूपये तथा 2868.40 करोड़ रूपये क्रमशः स्वीकृत तथा विमुक्त किया गया है। एनसीडीसी द्वारा महिला सहकारिताओं को संचयी विमुक्ति का 97% पिछले 7 वर्षों में हुआ है। वर्ष 2014-15 से एनसीडीसी ने 104553 सहकारी समितियों के 9.95 करोड़ सदस्यों की सहायता की है जिनमें से 3.56 करोड़ महिलाएं हैं।

योग्यता

देश में किसी भी राज्य/ बहु राज्य सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी महिला सहकारी समिति सहायता की पात्र है। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 50% महिला सदस्यों वाली कोई भी सहकारी समिति सहायता की पात्र है। नवीन तथा/ या नवाचारी गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में, महिला सहकारी समितियाँ जो कम से कम तीन महीने से संचालित हैं, वे भी लागू एनसीडीसी दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।

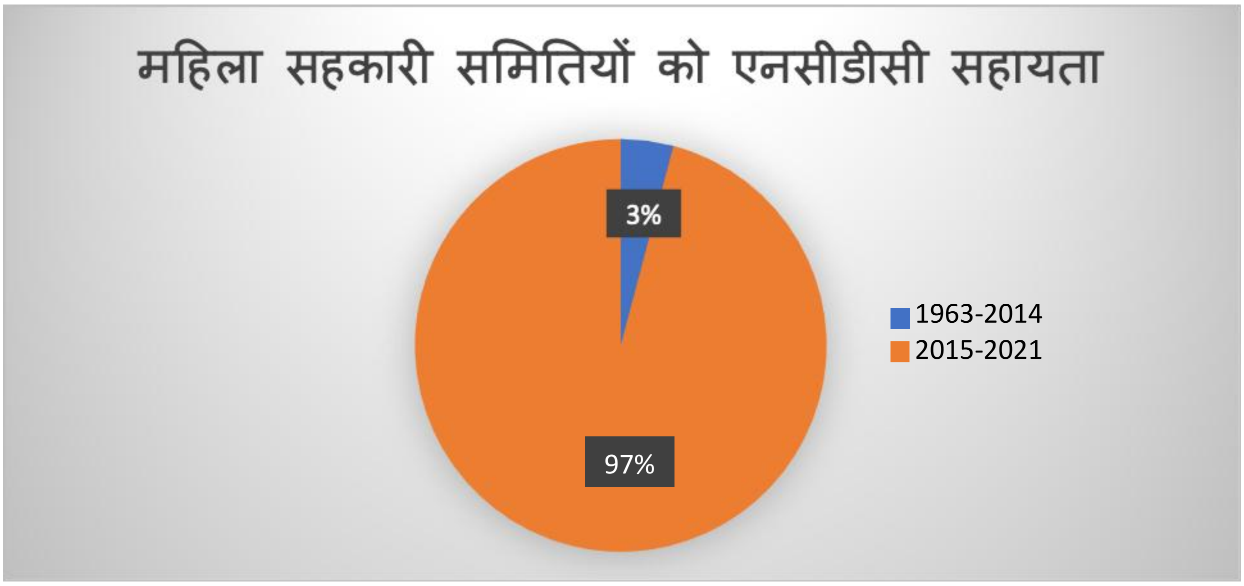

सांकेतिक व्यावसायिक गतिविधियाँ

नंदिनी सहकार शहरी आवास को छोड़कर, एनसीडीसी को दी गई किसी भी व्यवसाय योजना आधारित गतिविधि/ सेवा उदाहरण स्वरुप कृषि-प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखला, मूल्यवर्धन, लॉजिस्टिक, कृषि यंत्रीकरण, खुदरा, खाद्यान्न के विपणन, निवेश आपूर्ति, वृक्षारोपण , बागवानी, ग्रामीण आवासीकरण, कमजोर वर्ग के कार्यक्रम, आदिवासी सहकारी समितियां, डेयरी, कुक्कुटपालन, पशुधन, मत्स्य, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीट पालन, कम्प्यूटरीकरण, वस्त्र, पैक्स के बुनियादी ढांचे / ऋण/ विपणन सहकारिता की अवसंरचना , कृषि बीमा, जल संरक्षण कार्य / सेवाएं, पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन, अस्पताल/ स्वास्थ्य देखभाल / योग वैलनेस सुविधा, शिक्षा, बिजली उत्पादन तथा वितरण, ऊर्जा के गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत का उत्पादन तथा वितरण आदि के लिए सहायता प्रदान करता है ।

सहायता की पद्धति

पात्र सहकारी समितियों को एनसीडीसी सहायता प्रत्यक्ष अथवा राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से प्रदान की जाती है। एनसीडीसी क्रेडिट लिंकेज को भारत सरकार की वर्तमान योजनाओं (यथा. एआईएफ, सीसैक, डीआईडीएफ, एफआईडीएफ, 10,000 एफपीओ, एफएफपीओ, पीएमएमएसवाई, पीएम एफएमई, एमएसएमई इत्यादि) अथवा राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/ अथवा द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय सहायता अथवा विकासात्मक एजेंसी/ सीएसआर मेकैनिज्म के साथ क्रेडिट लिंकेज के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक महिला सहकारी समितियां एनसीडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अवलोकन कर सकती हैं। सहकारी समिति बनाने के दिशा-निर्देश के वीडियो 21 भाषाओं में यूट्यूब पर एनसीडीसी सहकार कॉपट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं (Sahakar Cooptube NCDC India - YouTube)। नंदिनी सहकार के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शन वीडियो एनसीडीसी के वेब पोर्टल (https://nandini.ncdc.in) पर उपलब्ध है । इच्छुक महिला सहकारी समितियाँ विशेष एनसीडीसी वेब पोर्टल या देशव्यापी एनसीडीसी क्षेत्रीय कार्यालयों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण www.ncdc.in पर उपलब्ध है। यह क्षेत्रीय कार्यालय आवेदन प्रक्रिया के लिए स्थानीय भाषा में महिला सहकारी समितियों की हर्षपूर्वक सहायता करेंगे ।

परियोजना लागत

महिला सहकारी समितियों द्वारा व्यवहार्य प्रस्तावों के मामले में परियोजना लागत पर कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है जो कम से कम तीन वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही हैं। परियोजना लागत में अवसंरचना, मार्जिन मनी और कार्यशील पूंजी शामिल है। परियोजना की लागत सीमाएँ इस प्रकार हैं:

क्र. सं	आवेदक समिति के संचालन का कार्यकाल	अधिकतम परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1.	> 3 माह एवं < 1 वर्ष	1.00
2.	> 1 वर्ष एवं <3 वर्ष	3.00
3.	> 3 वर्ष	वास्तविक आवश्यकता के अनुसार (कोई सीमा नहीं)

ऋण अवधि

ऋण की अवधि 5-8 वर्षों के लिए होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1-2 साल का अधिस्थगन भी सम्मिलित है, जो परियोजना के प्रकार एवं राजस्व धारा पर निर्भर करता है।

वित्तपोषण पद्धति

परियोजना को निम्नवत वित्त पोषण पद्धति के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी:

1. अवसंरचना निर्माण (परियोजना सुविधाएं):

राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्तपोषण
एनसीडीसी से राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र को	राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र से समिति को	एनसीडीसी से समिति को
ऋण* - 90%	ऋण* - 50% हिस्सा पूंजी** - 40%	ऋण*- 70%
समिति का हिस्सा - 10%	समिति का हिस्सा – 10%	समिति का हिस्सा - 30%

* केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/ विकासात्मक एजेंसी/ सीएसआर मेकैनिज्म की वर्तमान योजनाओं या भविष्य में सरकार की किसी भी योजना या द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय सहायता के रूप में सब्सिडी/ अनुदान क्रेडिट लिंकेज के तौर संघटित किया जाता है, ऐसी स्थिति में, ऋण राशि आनुपातिक रूप से कम हो सकती है।

** यदि राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा शेयर पूंजी का योगदान नहीं किया जाता है, तो उसे (40%) भी ऋण के रूप में समिति को प्रदान किया जाएगा।

2. मार्जिन मनी

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्तपोषण
एनसीडीसी से राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र को	राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र से समिति को	एनसीडीसी से समिति को
बैंक क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए ऋण* 100% ***	ऋण * या शेयर पूंजी या ऋण- सह शेयर पूंजी 100% ***	ऋण* 100% ***

* केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/ विकासात्मक एजेंसी/ सीएसआर मेकैनिज्म की वर्तमान योजनाओं या भविष्य में सरकार की किसी भी योजना या द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय सहायता के रूप में सब्सिडी/ अनुदान क्रेडिट लिंकेज के तौर संघटित किया जाता है, ऐसी स्थिति में, ऋण राशि आनुपातिक रूप से कम हो सकती है।

*** मार्जिन मनी सहायता की योग्यता मूल्यांकन के अधीन है।

3. **कार्यशील पूंजी** – आवश्यकतानुसार।

नई और नवाचारी परियोजना गतिविधियों की स्थिति में, महिला सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष वित्तपोषण के तहत 80:20 के ऋण : इक्विटी अनुपात में वित्त पोषण पद्धति के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी ।

कार्यान्वयन समयावधि

नंदिनी सहकार, सरकार के बजटीय समर्थन के बिना एनसीडीसी द्वारा महिला सहकारी समितियों को सहायता की एक रूपरेखा है, जिसमें इस स्तर पर सनसेट क्लॉज नहीं है। प्रारंभिक समयावधि पांच वर्षों , अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए है।

ब्याज दर

क्रेडिट लिंकेज के लिए, बाजार की स्थितियों के आधार पर समय-समय पर प्रकाशित ब्याज दर पर एनसीडीसी परिपत्र लागू होगा।

ब्याज सहायता

गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर ब्याज सहायता निम्नवत प्रदान की जा सकती है :

क) **नई तथा नवाचारी गतिविधियों के लिए ब्याज सहायता:** एनसीडीसी नई तथा नवाचारी गतिविधियों के लिए सावधि ऋण के हिस्से पर ब्याज की अपनी दर पर 2% ब्याज सहयता प्रदान करेगी।

ख) **अन्य गतिविधियों के लिए ब्याज सहायता:** एनसीडीसी अन्य सभी गतिविधियों के लिए सावधि लोन के हिस्से पर ब्याज की दर पर 1% ब्याज सहायता प्रदान करेगी।

एनसीडीसी ब्याज सहायता प्रोत्साहन समय पर पुनर्भुगतान हेतु लागू होगा। भारत सरकार की अन्य योजनाओं या राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र/ विकास एजेंसियों या द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय सहायता की अन्य योजनाओं से ब्याज सहायता अथवा सब्सिडी अथवा समर्थन को प्रोत्साहन एवं अनुमति दी जाती है।

प्रतिभूति

एनसीडीसी द्वारा सहायता या तो प्रत्यक्ष वित्तपोषण के माध्यम से अथवा राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष वित्तपोषण की स्थिति में, सहकारी समिति, एनसीडीसी की संतुष्टि के लिए ऋण हेतु सुरक्षा के तौर पर निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक का संयोजन रूप गिरवी रख सकती है:

क) एनसीडीसी ऋण के 1.5 गुना की सीमा तक परियोजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली संपत्ति सहित संपत्तियों को गिरवी रख सकती है;
ख) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/ केंद्र सरकार द्वारा गारंटी;
ग) एनसीडीसी ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक अनुसूचित बैंकों / राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडीआर को गिरवी रख सकती है;
घ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ सांविधिक निकायों / केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सीएसआर फाउंडेशन द्वारा गारंटी;
च) अनुसूचित बैंकों / राष्ट्रीयकृत बैंकों से गारंटी;
छ) एनसीडीसी ऋण के 1.2 गुना तक की सीमा तक सरकारी बॉन्ड / प्रतिभूतियों का असाइनमेंट एवं गिरवी रखा जाना;
ज) विश्वसनीय सहकारी संस्थानों की गारंटी, अर्थात स्वस्थ वित्तीय स्थिति और प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थान;

झ) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी)/ पूर्वोत्तर वित्त विकास निगम (नेडफी) / भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)/ क्रेडिट गारंटी फंड की गारंटी;
ट) सावधि जमा प्राप्तियों (एफडीआर) के रूप में निदेशक मंडल / सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी।

सब्सिडी

नंदिनी सहकार को सरकार की वर्तमान योजनाओं (यथा. एआईएफ, सीसैक, 10,000 एफपीओ, पीकेवीवाई, पीएमएमएसवाई, डीआईडीएफ, एफआईडीएफ, पीएम एफएमई, एमएसएमई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इत्यादि)/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा भविष्य में किसी भी योजना के साथ या द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय सहायता अथवा विकासात्मक एजेंसी/ सीएसआर मेकैनिज्म के साथ क्रेडिट लिंकेज के रूप में संघटित किया जा सकता है। यद्यपि, यदि परियोजना की लागत में कार्यशील पूंजी ऋण घटक सम्मिलित है, सब्सिडी केवल परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) के पूंजी निवेश के लिए योग्य होगी। परियोजनाओं के त्वरित और सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सब्सिडी के बदले में योग्य ऋण प्रदान किया जा सकता है। सरकारी सब्सिडी, जब तथा जैसे एनसीडीसी द्वारा आगामी संवितरण के लिए प्राप्त की जाती है, तब ऋण खाते में समायोजित की जाएगी।

राशि की विमुक्ति

एनसीडीसी सहायता को विमुक्ति पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार संवितरित किया जाता है। परियोजनाओं के त्वरित और सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सब्सिडी के बदले योग्य ऋण प्रदान किया जा सकता है। सरकारी सब्सिडी, जब तथा जैसे एनसीडीसी द्वारा आगामी संवितरण के लिए प्राप्त की जाती है, सब्सिडी के तौर पर दी गई ऋण राशि में समायोजित की जाएगी।

क्षमता निर्माण

महिला सहकारी समितियों की क्षमता निर्माण एनसीडीसी की एक सतत गतिविधि है और यह निगम की संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक गतिविधि के रूप में नंदिनी सहकार के लिए उपलब्ध होगी। सहकारी समितियों की महिला सदस्य गुरुग्राम में एनसीडीसी-लिनाक के माध्यम से या देश भर में अपने **18** क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी।

समुचित सावधानी

एनसीडीसी किसी भी परियोजना को स्वीकृति देने से पहले मूल्यांकन के अपने मानक तथा एवं समुचित सावधानी की प्रक्रिया को सम्पन्न करेगा।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

4, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली - 110016
www.ncdc.in